



केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय)
परिवेश भवन, पूर्वी अर्जुन नगर,
दिल्ली-110032

फा.सं. सी-27011/01/2018-20(हिंदी)/ 209

दिनांक: 30.07.2021


परिपत्र

विषय: मंत्रालय द्वारा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा के संबंध में।

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा के प्रगामी प्रयोग से संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा की गई है। समीक्षा के उपरांत, मंत्रालय द्वारा इस आशय के निदेश दिए गए हैं कि 'क' क्षेत्र के कार्यालय द्वारा 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों के साथ 100 प्रतिशत पत्राचार हिंदी में किया जाना अपेक्षित है। ज्ञातव्य है कि यह कार्यालय 'क' क्षेत्र में स्थित है।

2. उपर्युक्त दृष्टिगत, यह अनुरोध है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सभी प्रभाग कृपया राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दिशानिर्देशों का पालन करें तथा 'क' तथा 'ख' क्षेत्रों के कार्यालयों के साथ 100 प्रतिशत मूल पत्राचार हिंदी में करें। इसके साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार, 75% टिप्पणियाँ हिंदी में लिखी जानी अपेक्षित है।

यह सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(अवधेश तिवारी)
सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं
प्रभारी
राजभाषा प्रभाग

प्रतिलिपि:


1. सभी प्रभाग प्रमुख, के.प्र.नि.बो. मुख्यालय
2. अध्यक्ष, केंद्रीय बोर्ड के निजी सचिव
3. प्रशासनिक अधिकारी, सदस्य सचिव महोदय अनुभाग
4. प्रभारी, आई.टी. प्रभाग

- सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
- अध्यक्ष महोदय को सादर सूचनार्थ।
- सदस्य सचिव महोदय को सूचनार्थ।
- कृपया इसे के.प्र.नि.बो. की वेबसाइट पर अपलोड करें।


(अवधेश तिवारी)


10/8

please upload
MAA(JLA)


12-Aug-21